

1819045/18-9-18

पत्रांक: जी.एस.टी./2018-19/

604

/वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


विषय:- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत डी0डी0ओ0 द्वारा टी0डी0एस0 कटौती तथा जमा से संबंधित दिशा-निर्देशों के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत डी0डी0ओ0 द्वारा टी0डी0एस0 कटौती तथा जमा से संबंधित दिशा-निर्देशों के संबंध में परिपत्र संख्या-65/39/2018-डी0ओ0आर0 दिनांक 14.09.2018 को जारी किया गया है।

उक्त परिपत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों को भी अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


18-9-18

(डी0 के0 सचान)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)

वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

